

**आस्ट्रिया गणराज्य की सरकार
और
भारत गणराज्य की सरकार
के बीच
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर करार**

आस्ट्रिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार जिन्हें इसके बाद "पक्ष" कहा गया है,

यह मानते हुए कि पारस्परिक लाभ और समानता के आधार पर वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय सहयोग पक्षों के बीच संबंध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारों में से एक होने के साथ - साथ विश्व में स्थायित्व प्राप्त करने का एक तत्व है,

पक्षों के बीच वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय सहयोग के क्षेत्र में सकाशत्मक अनुभव और पारस्परिक लाभ के लिए इस संबंध को सिद्ध करने की आवश्यकता के संबंध में,

वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय ज्ञान के तीव्र विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए,

राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पक्षों के बीच सहयोग में सुधार करने की इच्छा से,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आस्ट्रिया - भारत संबंध के समन्वय में सुधार करने के महत्व को स्वीकार करते हुए,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

दोनों पक्ष राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार और परस्पर लाभ के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय सहयोग के विकास में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 2

(1) दोनों पक्ष राष्ट्रीय संस्थानों, विज्ञान अकादमियों, उच्चतर शिक्षा विद्यालयों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्रों तथा अन्य संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय सहयोग के विकास को प्रोत्साहित करेंगे तथा उन्हें सहायता प्रदान करेंगे।

(2) दोनों पक्ष अपने - अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसूच्य मौजूदा और भावी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के ढांचे में संयुक्त परियोजनाओं पर दोनों देशों के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की भागीदारी में सहायता प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 3

अनुच्छेद 1 में सहयोग हेतु की गयी व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल होगा:

1. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सूचना, प्रलेखन और प्रकाशन का आदान - प्रदान;
2. वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय सहयोग के कार्यान्वयन हेतु पक्षों द्वारा स्वीकृत द्विपक्षीय परियोजनाओं के भीतर वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों का आदान - प्रदान;
3. मंत्रणाओं, विचार - गोष्ठियों और विशेष अध्ययनों के लिए वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों का आदान - प्रदान;
4. वैज्ञानिक सामग्री, वैज्ञानिक उपकरणों और उपकरणों को परस्पर उपलब्ध कराने की संभावना के साथ बहुपक्षीय प्रकृति की पहलों पर विचार करने में संयुक्त कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि जैसे संयुक्त वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय अवसरों और अन्य वैज्ञानिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और सहायता।

अनुच्छेद 4

(1) करार के अनुसार पक्षों के मध्य कोई सीधा वित्तीय लेन देन नहीं है। अनुच्छेद 3 में संयुक्त परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक पक्ष, उनके द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों के यात्रा खर्च और उन व्यक्तियों जिनका वे स्वागत करेंगे, आतिथ्य

सत्कार खर्च (प्रतिदिन आवास, भोजन सहित) का वहन करेंगे तथा यदि आवश्यक हुआ तो पर्याप्त आवास खोजने में वे मदद करेंगे।

(2) द्विपक्षीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों की गतिशीलता के लिए किया जायेगा।

(3) भेजने वाले पक्षों के संगठनों को सुनिश्चित करना होगा कि वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों को स्वास्थ्य हेतु पूर्णरूप से बीमित कर दिया गया है।

अनुच्छेद 5

(1) इस करार के कार्यान्वयन हेतु दोनों पक्ष वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग हेतु एक संयुक्त समिति बनाएंगे।

(2) संयुक्त समिति के मुख्यतः निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. इस करार के कार्यान्वयन से संबंधित नीतिगत मामलों पर विचार - विमर्श;
2. उनको सहायता प्रदान करने के लिए सहयोगी कार्यकलापों और सामान्य तथा वित्तीय शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए आवधिक कार्यक्रम तैयार करना;
3. सहयोग के क्षेत्रों की परिभाषाएं;
4. सहयोग के तरीकों और स्तरों की परिभाषाएं ;
5. वैज्ञानिक - प्रौद्योगिकीय सहयोग की समीक्षा करना।

(3) यदि आवश्यक हो तो, संयुक्त समिति सहयोग के परिभाषित क्षेत्रों के लिए कार्य दलों का गठन करेगी तथा संयुक्त आयोग की बैठकों के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करेगी।

(4) संयुक्त समिति की सामान्य माध्यमों से दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित किसी तारीख को अधिमानतः प्रत्येक दो वर्षों में विकल्पतः भारत और आस्ट्रिया में बैठक होगी।

(5) संयुक्त समिति में कार्यक्रम की भाषा अंग्रेजी होगी।

अनुच्छेद 6

इस करार के अन्तर्गत सहयोगात्मक कार्यकलापों से उत्पन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पक्षों के सहयोगी संगठनों के मध्य कार्यान्वयन ध्वरस्थाओं द्वारा विनियमित किया जाएगा। बौद्धिक सम्पदा संरक्षण बौद्धिक सम्पदा कानून पर अन्तरराष्ट्रीय करारों के अध्यक्षीन होंगे, जो भारत गणराज्य और आस्ट्रिया गणराज्य दोनों में लागू हो तथा राष्ट्रीय कानूनों में लागू हो।

अनुच्छेद - 7

(1) इस करार के कार्यान्वयन के लिए भारत गणराज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आस्ट्रिया गणराज्य में विज्ञान और अनुसंधान संघीय मंत्रालय उत्तरदायी प्राधिकरण होंगे,

(2) अनुच्छेद - 1 के अनुसार कार्यान्वयन के लिए कार्यकलाप निम्नानुसार है:

1. अनुच्छेद 3, उप - अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रस्तावों को आमंत्रित करना,
2. प्रस्तावों का मूल्यांकन करना
3. परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना

अनुच्छेद - 8

यदि इस करार की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्ष राजनयिक माध्यमों के द्वारा एक दूसरे से विचार - विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 9

(1) यह करार उस महीने के बाद के तीसरे महीने के पहले दिन लागू होगा जिसमें पक्षों द्वारा राजनयिक टिप्पणियों के माध्यम से लिखित रूप में एक दूसरे को इस संबंध में सूचित कर दिया हो कि इस करार को लागू करने के लिए उनकी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है।

(2) यह करार उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक एक पक्ष दूसरे पक्ष को राजनयिक टिप्पणियों के माध्यम से लिखित रूप में इस करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा न प्रकट करे। इस करार का समापन उपरोक्त अधिसूचना की तिथि से छः महीने के भीतर प्रभावी होगा।

(3) इस करार का केवल दोनों पक्षों की लिखित सहमति से परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा।

(4) इस करार पर आधारित बालू संयुक्त परियोजनाओं पर जो समाप्ति के समय तक पूरी नहीं हो सकी है, इस करार की समाप्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में वर्ष 2007 के NOVEMBER माह की 30 तारीख को NEW DELHI में सम्पन्न इस करार के सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं किन्तु संशय की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

आस्ट्रिया गणराज्य की
सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

नाम: DR. JOHANNES HAHN
पदनाम: MINISTER FOR SCIENCE & RESEARCH

नाम: SHRI KAPIL SIBAL
पदनाम: MINISTER FOR SCIENCE
& TECHNOLOGY